व तारीख जो
हुक्म की
में जारी हुई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 34/2022 (2022/237) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्तिसिंह जाडावत निवासी बाड़ी हाल निवास चितौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 24.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पिता शक्तिसिंह जाड़ावत निवासी बाड़ी तहसील रायपुर हाल निवास चितोड़गढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम बाड़ी खाता संख्या 23 में अकिंत आराजी संख्या 1136, 1137, 1138, 1139, 192, 193 किता 6 रकबा 4.56 है0 जो सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है, खाता संख्या 22 में अंकित आराजी संख्या 1135 रकबा 0.04 है0गै.मु.चाह जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, खाता संख्या 25 में अंकित आराजी संख्या 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 148 कुल किता 6 रकबा 4.41 है0 भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी तरह खाता संख्या 26 में अंकित आराजी संख्या 1140, 1381, 1382 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त समस्त कृषि आराजियात में प्रार्थी का नाम त्रुटीवश किशनसिंह पिता शक्तिदान चारण दर्ज हो गया है जो बोलचाल की भाषा में है। उक्त आराजियात से सम्बंधित जमाबन्दी संवत 2074—2077 की नकले साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्तिसिंह जाड़ावत सा. देह के बजाय किशनसिंह पिता शक्तिदान चारण सा. देह अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्ति सिंह जाडावत सा. देह है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। अतः मेरा नाम संशोधन करवाने की कृपा करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में तहसीलदार रायपुर की ओर से प्रकरण में जवाब के रूप में निवेदन किया कि प्रकरण प्रार्थी का नाम संशोधन से सम्बधित है प्रार्थी का नाम संशोधन किया जाने में राजहित प्रभावित नही होने से कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली किये गये। उक्त दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्तिसिंह दर्ज है।

मुकदमा नम्बर– 34/2022 (2022/237) प्रार्थना पत्र

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी को दो नाम से जाना जाता है सुरेन्द्रसिंह व किशनसिंह। प्रार्थी का नाम बोलचाल की भाषा में किशनसिंह होने से जमाबन्दी में किशनसिंह दर्ज हो गया एवं अन्य दस्तावेजो में सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्तिसिंह के नाम से है प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में श्री ज्वालासिंह पिता भवानी सिंह राजपूत निवासी चितौड़गढ़ के बयान कराये गये जिसमें बयानकर्ता द्वारा भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए दोनो नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के नाम के सन्दर्भ में अन्य तरह से भी जांच करने पर पाया कि किशनसिंह एवं सुरेन्द्रसिंह नाम का एक ही व्यक्ति/खाातेदार है। बोलचाल एवं दस्तावेज में दर्ज नाम मे भिन्न्ता होने से प्रार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त विवरण से मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में किशनसिंह एवं अन्य दस्तावेजो में सुरेन्द्रसिंह जाडावत दर्ज है जो दोनो नाम का एक ही व्यक्ति होकर अलग अलग व्यक्ति नही है। उक्त वर्णित आराजियात के सम्बन्ध में आज दिनांक के पूर्व किसी भी प्रकार के राजकीय कार्यालय/निगम में किसी प्रकार की कोई भी राजकीय राशि किशनसिंह के नाम की बकाया हो तो प्रार्थी ही जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बाड़ी खाता संख्या 23 में अंकित आराजी संख्या 1136, 1137, 1138, 1139, 192, 193 किता 6 रकबा 4.56 है0 जो सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है, खाता संख्या 22 में अंकित आराजी संख्या 1135 रकबा 0.04 है0गै.मु.चाह जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, खाता संख्या 25 में अंकित आराजी संख्या 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 148 कुल किता 6 रकबा 4.41 है0 भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी तरह खाता संख्या 26 में अंकित आराजी संख्या 1140, 1381, 1382 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि में प्रार्थी खातेदार का नाम किशनसिंह पिता शक्तिदान के बजाय सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्तिसिंह दर्ज किया जावे। उक्त वर्णित आराजियात के सम्बन्ध में आज दिनांक के पूर्व किसी भी प्रकार के राजकीय कार्यालय/निगम में किसी प्रकार की कोई भी राजकीय राशि किशनसिंह के नाम की बकाया हो तो प्रार्थी ही जिम्मेदार होगा। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

24.06.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 34/2022 (2022/237) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्तिसिंह जाडावत निवासी बाड़ी हाल निवास चितौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बाड़ी खाता संख्या 23 में अंकित आराजी संख्या 1136, 1137, 1138, 1139, 192, 193 किता 6 रकबा 4.56 है0 जो सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है, खाता संख्या 22 में अंकित आराजी संख्या 1135 रकबा 0.04 है0गै.मु.चाह जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, खाता संख्या 25 में अंकित आराजी संख्या 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 148 कुल किता 6 रकबा 4.41 है0 भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी तरह खाता संख्या 26 में अंकित आराजी संख्या 1140, 1381, 1382 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि में प्रार्थी खातेदार का नाम किशनसिंह पिता शक्तिदान के बजाय सुरेन्द्रसिंह जाडावत पिता शक्तिसिंह दर्ज किया जावे। उक्त वर्णित आराजियात के सम्बन्ध में आज दिनांक के पूर्व किसी भी प्रकार के राजकीय कार्यालय/निगम में किसी प्रकार की कोई भी राजकीय राशि किशनसिंह के नाम की बकाया हो तो प्रार्थी ही जिम्मेदार होगा।

हुक्मनामा आज दिनांक 24.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

24.06.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)